

नगरपालिका विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
हाल का लिये-राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।



क्रमांक:- 1

दिनांक: 2-1-89

- लाट संख्या:-
- 1- 1/021421
 - 2- 1/021731
 - 3- 1/021741
 - 4- 1/021751
 - 5- 1/021761
 - 6- 1/021771
 - 7- 1/021781
 - 8- 1/021791
 - 9- 1/021801
 - 10- 1/021811
 - 11- 1/021821
 - 12- 1/021831
 - 13- 1/021861
 - 14- 1/021871
 - 15- 1/021881
 - 16- 1/021891
 - 17- 1/021931
 - 18- 1/021941
 - 19- 1/021971
 - 20- 1/021991
 - 21- 1/0211021
 - 22- 1/02111पार्ट-131


विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि
का आंशिक अर्बाई योजना मानसरोवर-प्रथम की उपरोक्त
वाटों की कुल भूमि 425वीघा 02चिस्वा ।



---:2:---

पीठासीन अधिकारी:- 1- श्री सी०एम०शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०, जयपुर ।

पक्षकारानु:-

- 1- भूमि के सम्बन्धित खातेदार एवं न्यू रिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर जरिये मैत्री ।
- 2- राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री एन०के०सेठी, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, एवं श्री जे०के० सिंघी, एडवोकेट ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कॉलोनी ग्राम झालानाचौड़, देवरी, मानपुर उर्फ गोलयावास जिला जयपुर की 2570 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक: प०71721नविआ/11/81 दिनांक 12-1-82 को जारी की गई, जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13-1-82 को प्रकाशित की गई है ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9"ली" उपधारा 11 में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक: प०71721नविआ/11/81 दिनांक 9-2-82 को राजस्थान राजपत्र में भाग 1 ख में दिनांक 9-2-82 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 1714 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 911 के नोटिस दिनांक 5-5-82 को जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस के पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गयी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास विभाग
जयपुर



---:3:---

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों की अधिनियम की धारा 913 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से निम्नलिखित भूमि का अवाई दिया जा रहा है । अवाई दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वाट संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा वीछा विस्वा
1-	1/821421	श्री रागसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह ग्राम झालानाचौड ।	1	40 - 00
2-	1/821731	श्री देवनारायण पुत्र हरदेव	321 330	3 - 18 7 - 03 ----- 11 - 01
3-	1/821741	श्री सुखा पुत्र मुन्ना ग्राम देवरी ।	322 340	3 - 17 8 - 00 ----- 11 - 17
4-	1/821751	श्री नाथू पुत्र बालू ग्रामदेवरी	323	12 - 07
5-	1/821761	श्री रघुनाथ पुत्र विरदा 1/2 रामनारायण पुत्र रघुनाथ ग्राम देवरी ।	324	12 - 08 ----- 11 - 00
6-	1/821771	श्री लाटू पुत्र प्रताप 1/2, सोहन पाँच्या, छोदू, भगवानसहाय पुत्र हरदत्त, प्रभूत चौधू ना.वा. तंरक्षक नैना मेवा चौधू ग्राम देवरी ।	326	11 - 00
7-	1/821781	श्री विरदा पुत्र पेमा ग्रामदेवरी	331	11 - 15
8-	1/821791	श्री किशनलाल पुत्र राममाला/3 लाटूराम पुत्र किशनलालग्रामदेवरी	332	23 - 10

कुल:- 4--

अधिकांश
कल एवं शालाक विद्या
नगर, बंगलूर



- 1- 2- 3- 4- 5- 6-
- 9- 1/021001 ब्रूँथा पुत्र रामलाल 1/3, गोकुल 333 26 - 05
पुत्र ब्रूँथा 1/3 भूरा पुत्र ब्रूँथा 1/3
ग्राम देवरी ।
- 10- 1/021011 श्री नारायण, लोदू पुत्र सुखा 335 22 - 07
ग्राम देवरी ।
- 11- 1/021021 श्री किशोर, रामू, लाला, लोदू, 337 11 - 10
पुत्र मूलका, ग्राम देवरी ।
- 12- 1/021031 चौधु पुत्र भुवानाग्राम देवरी । 336 11 - 00
- 13- 1/021061 सत्यनारायण, दीपचन्द, कमल- 349 20 - 10
प्रताप पि० भैरु, दामोदर पुत्र
भैरु ग्राम देवरी ।
- 14- 1/021071 भौरिया पुत्र गणेश 1/2, 350 20 - 13
प्रभुदयाल पुत्र पन्नालाल 1/2,
ग्राम देवरी ।
- 15- 1/021081 श्री लालू पुत्र नाथू 1/2, 353 21 - 07
भौरिया पुत्र नानगा 1/2,
ग्राम देवरी ।
- 16- 1/021091 गोपी पुत्र नाथू ग्राम देवरी 355 22 - 01
- 17- 1/021931 भागचन्द, प्रताप पुत्र ब्रूँथा 367 10 - 10
ग्राम देवरी ।
- 18- 1/021941 श्री मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव 368 21 - 10
सुरजू देवा रामदेव, हि. 1/2,
चुन्नीलाल, गंगल पुत्र धन्ना ग्राम
देवरी ।
- 19- 1/021971 श्री लालू, किशना, आनन्दा पुत्र 374 12 - 05
भूरा, ग्राम देवरी ।
- 20- 1/021991 श्री गोपाल पुत्र निरदा 379 0 - 08
ग्राम देवरी

सहायिका
ग्राम देवरी
ग्राम देवरी

क्रमः--5--



---:544

1-	2-	3-	4-	5-	6-
21-	1/0211021 श्री रामनारायण चौधरी मानपुर 351/429	12 - 00			
	देवरी उर्फ गोल्यावास ।	352/424	3 - 00		
		371/427	1 - 00		
		353/420	1 - 09		
		370/426	1 - 12		
			19 - 01		

नोट:- खसरा नं०-353/420 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा नं०-370/426 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ।

22- 1/02111021 - ग्राम सुखालपुर :-

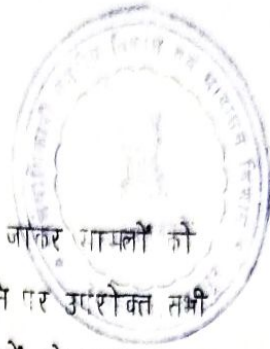
अ-	श्री कजोड, मंगलचन्द विरदीचन्द	212/1	6 - 04
	बुद्धराम, रामचन्द्र, मोहन पुत्र	213/1	9 - 06
	भगता ।		
ब-	मोहरू पुत्र चन्दा	212/2	7 - 11
		213/2	8 - 09
		218/1	4 - 04
स-	रामू पुत्र रंगनाथ, गणेश पुत्र	218/2	20 - 05
	नाथी देवा वक्ता, धीसी पुत्री		
	वक्ता ।		

नोट:- स्थगन आदेशों के कारण इन खसरा नम्बरों का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ।

अधिकारी
न्यायालय एवं आवासन
मन्त्रालय, नया दिल्ली

5- इन सभी मामलों में विशेष बात यह है कि इन सभी मामलों में न्यायालय के स्थगन आदेश मानते हुये मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही रुकी हुई थी। साथ सितम्बर, 1908 में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि इन मामलों में स्थगन -

क्रमशः -- "6--



-आदेश नहीं है। तथा कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाकर मामलों को जीघ्रातिशीघ्र निष्पत्ति किया जाने। उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सभी पत्रावलियों में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं सुना जाकर मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गयी।

6- उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में तो उपरोक्त खातेदारों के नाम अंकित है किन्तु न्यू पिंकस्टी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख सम्बन्धित खातेदारों के स्वध पत्र व अनुबन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किये गये जिनमें सम्बन्धित खातेदारों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह भूमि उनके द्वारा समिति को विक्रय कर दी गयी है। आगे समस्त कार्यवाही हेतु समिति को पूर्ण अधिकार है। अतः इस आधार पर इन मामलों में समिति को इन्ड्रेस्टेड पर्सन माना गया एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केवल वाद संख्या: 1/821671 व 1/82111 पर्ट-131 व 1/821001/3 भाग में समिति द्वारा प्रस्तुत पत्रादि अपूर्ण होने के कारण खातेदारों के हक में कार्यवाही की जाती है।

7- उपरोक्त सुनवाई के दौरान समिति द्वारा आने क्लेम पेश किये गये जो पत्रावलियों में संलग्न है, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा क्लेमों का जवाब पेश किया गया तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स आदि के तकमीने पेश किये गये जो सम्बन्धित पत्रावलियों में संलग्न है।

8- मेरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वह सुनी गयी। तत्पश्चात् मौका मुआवजा भी किया गया। यह भूमि राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर-प्रथम योजना से सम्बन्धित है इस योजना की अन्य कई मामलों में भूमि के अवार्ड जारी किये जा चुके हैं जिनमें राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान किया जा चुका है। मैं वर्तमान मामलों में भी पूर्ण में दी गयी दर को ही उचित मानता हूँ। अतः वर्तमान मामलों में भी अतिरिक्त भूमि की दर पूर्व की यानि 19,000/- रुपये प्रति बीघा, सिंचित भूमि की दर रुपये-20,000/- रुपये प्रति बीघा तथा रोड़ के किनारे स्थित भूमि का रुपये-1000/- प्रति बीघा अतिरिक्त दिया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

सिवाधिकारी
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर



---:7:---

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भूमि के मुआवजे को निम्न प्रकार किया जाता है:-

1- वाट संख्या:-1/021421:-

1- कुल भूमि रकबा 40वींघा का मुआवजा रुपये-20,000/-
प्रतिवींघा की दर से रुपये- 8,40,000.00

2- कूँ, पेड़, बोरिंग, पक्का निर्माण का
तकमीना राज0आ0मण्डल के अनुसार: 1,60,024.05

10,00,024.05

3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 3,02,647.44.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

2- वाट संख्या:-1/021731:-

1- कुल भूमि रकबा 11वींघा01विस्ता का मुआवजा रुपये-
19,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 2,09,950.00

2- डोला, पेड़ आदि का तकमीना राज0आ0म0 के
अनुसार रुपये-

1,041.52

2,11,791.52

3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 63,537.46

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

3- वाट संख्या:-1/021741

1- कुल भूमि रकबा 11वींघा 17विस्ता का मुआवजा
रुपये-20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 2,37,000.00

2- डोले, पेड़, रसीपाईप, झोपड़ी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

7,412.20

2,44,412.20

कुल:-0-

सिरोपिकारी
राजस्थान आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर



3- 30% सोलेरियम की राशि रुपये- 73,323.66

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

4- वाद संख्या:-1/02175:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं छा 07 बिस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये-

2,47,000.00

2- कूँ, पेड, डोले, झौपडी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु.

30,364.90

2,77,364.90

3- 30% सोलेरियम की राशि रुपये- 03,209.47

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

5- वाद संख्या:-1/02176:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं छा 08 बिस्वा का मुआवजा

रुपये 19,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये-

2,35,600.00

2- डोला, पेड आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल

के अनुसार रुपये-

1,937.50

2,37,537.50

3- 30% सोलेरियम की राशि रुपये- 71,261.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

6- वाद संख्या:- 1/02177:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं छा का मुआवजा रुपये-19,000/-

2,09,000.00

प्रतिवीछा की दर से रुपये-

क्रम:-9--

सहायक निदेशक
आवासन एवं भवन विभाग
जयपुर

---:19:---

2- डोले, पेड़, आदि का तकमीना राजस्थान
के अनुसार रुपये-

2,015.20

2,11,015.20

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,544.56

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

7- बाद संख्या:- 1/021781:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा 15 बिस्वा का मुआवजा रुपये-

19,000/- प्रतिघा की दर से रुपये- 2,23,250.00

2- डोले, पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

1,357.50

2,24,607.50

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 67,302.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

8- बाद संख्या:- 1/021791:-

1- कुल भूमि 23वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा रुपये- 20,000/-

प्रतिघा की दर से रुपये- 4,70,000.00

2- कूआँ, एसीपाईंग, डोला, पेड़, झौपड़ी आदि
का तकमीना राजस्थान के अनुसार रु.-

25,723.57

4,95,723.57

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,40,717.07

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

क्रम:- 10--

राजस्थान
आवासन मण्डल
जयपुर

---:10:---



वाट संख्या: 1/021001:-

9-

- 1- कुल भूमि रकबा 26वीं घा 05 बिस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 5,25,000.00
- 2- कूआँ, डोला, पेड़, छुमटी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु - 45,317.35

5,70,317.35

- 3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,71,095.20

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देा होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

10- वाट संख्या:- 1/021011:-

- 1- कुल भूमि रकबा 22वीं घा 07 बिस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,47,000.00
- 2- कूएँ, डोल, पेड़, झोपडी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 41,184.05

4,88,184.05

- 3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,46,455.21

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देा होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

11- वाट संख्या:- 1/021021:-

- 1- कुल भूमि 11वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा रुपये-
19,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 2,10,500.00
- 2- डोले व पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 710.75

2,19,210.75

प्रस्ता:- 11--

राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

---:11:---



3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 65,765.62

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

12- वाद संख्या:- 1/821031:-

- 1- कुल भूमि 11 बीघा का मुआवजा रुपये-19,000/-
प्रतिबीघा की दर से रुपये- 2,09,000.00
- 2- पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 1,981.17

2,10,981.17

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,294.35

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

13- वाद संख्या:- 1/821061:-

- 1- कुल भूमि रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/- प्रतिबीघा की दर से रुपये- 4,10,000.00
- 2- कूँ, डोला, झोपड़ी, धोरा पेड़, आदि का
तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 33,200.00

4,43,200.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,32,960.18

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

14- वाद संख्या:- 1/821071:-

- 1- कुल भूमि रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा का मुआवजा
रुपये-20,000/- प्रतिबीघा की दर से रुपये- 4,13,000.00
- 2- डोला, कुआँ, टैंक, पेड़, झोपड़ी आदि का
मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के
अनुसार रुपये-

35,665.90

क्रमशः-12-

-----:12:-----



3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,34,599.77

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

15- वाद संख्या:- 1/021001:-

1- कुल भूमि रकबा 21वीं घा07 विस्था का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 4,27,000.00

2- कूँ, पेड़, झौपड़ी आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 44,639.00

4,71,639.00

3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,41,491.96.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

16- वाद संख्या:- 1/021091 :-

1- कुल भूमि रकबा 22वीं घा01 विस्था का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 4,41,000.00

2- कूँ, डोले, पेड़, झौपड़ी, एसीआई आदि
का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल
के अनुसार रुपये-

30,023.90

4,79,023.90

3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,43,707.17

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

10- वाद संख्या:- 1/021931:-

1- कुल भूमि रकबा 10वीं घा10 विस्था का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 3,70,000.00

क्र.सं:-13--

राजस्थान
आवासन मण्डल, जयपुर

-----:13:-----

2- कुआँ, पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

25,153.37

4,03,153.37

3- 30% तोलेक्विम की राशि रुपये- 1,20,946.01

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

19- ताद संख्या:- 1/021941:-

1- कुल भूमि रकबा 21वीछा 10विस्वा का मुआवजा

रुपये-20,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये- 4,30,000.00

2- कुएँ, डोला, एसीपाईप, निर्माण आदि का
तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु-

39,506.49

4,69,506.49

3- 30% तोलेक्विम की राशि रुपये- 1,40,051.94

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

20- ताद संख्या:- 1/021971:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीछा 05विस्वा का मुआवजा रुपये

20,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये- 2,45,000.00

2- कुआँ, डोला, पेड़, झोपड़ी आदि का तकमीना

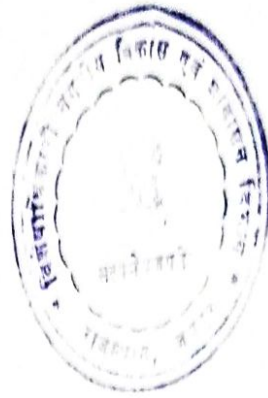
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 31,033.47

2,76,033.47

3- 30% तोलेक्विम की राशि रुपये- 02,010.04

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

कुम्भा:- 14-



---:14:---

21- वाट संख्या/-1/021091:-

1- कुल भूमि 6वीं घा० विस्था का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 1,60,000.00

2- डोला, कूआँ, पेड़, शौचाली आदि का मुआवजा

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 22,159.00

1,90,159.00

3- 30% सोलेजियम की राशि रुपये- 57,047.70

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

22- वाट संख्या:-1/021102:-

1- कुल भूमि रकबा 16वीं घा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 3,20,000.00

2- कूआँ, पेड़, डोला, टैंक, एसीनाई आदि का

तकरीबीना राजस्थान मण्डल के अनुसार रुपये- 35,486.00

3,55,486.00

3- 30% सोलेजियम की राशि रुपये- 1,06,645.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

23- वाट संख्या:-1/021117-13:-

अ-1- कुल भूमि रकबा 15वीं घा 10 विस्था का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 3,10,000.00

ब- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 05 विस्था का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 4,04,000.00

क- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 05 विस्था का मुआवजा रुपये-

20,000/- प्रतिघा की दर से रुपये- 4,05,000.00

कुल:-15-

निरोधकारी
राजस्थान आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

-----:15:-----



राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त भूमि पर स्थित झोपड़ियाँ
कुआँ, टैंक, पेड़ आदि का सम्मिलित तकमीना रुपये-56,423.90 का प्रस्तुत
किया है, जो खातेदारों को उनके अपने अपने हिस्से के अनुसार देय होगा,
तथा भूमि की कीमत व हिस्सेदार तकमीना जोड़कर 30% सोलेक्षिया राशि
व ब्याज आदि का नियमानुसार देय होंगे जिनकी गणना राजस्थान आवासन
मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

उपरोक्त अर्दाई राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन
विभाग ग्रुप-3 विभाग के पत्र क्रमांक: 07172 नविआ/3/01 दिनांक 31-12-00
के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा सुष्टि कर दी गई है।
अतः आज दिनांक 2-1-81 को भूमि के सुआवजे का अर्दाई उपरोक्तानुसार
घोषित किया जा रहा है।
राजस्थान, जयपुर

अर्दाई सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं
न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया ।


विशेष अधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् आसन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०, जयपुर ।
- 2- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- तहसीलदार - 
- 4- सम्बन्धित खातेदार श्री

विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विशेष अधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।